पत्रांक:1185–17 एन.एल.यू.लखनऊ/प्रशा0/एस–35/2017(1965)
दिनांक: 14.08.2017

सूचना

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/नव प्रवेशित विद्यार्थी जिनकी समस्त श्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रू0 2.0 लाख से अधिक न हो ऐसे अर्ह इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत Scholarship.up.nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध समय–सारणी के अनुसार 28 सितम्बर, 2017 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना अनिवार्य है।

इच्छुक अर्ह विद्यार्थी वेबसाइट पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें तत्पश्चात संबंधित प्रपत्र संलग्न कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी फैकल्टी–2 भवन के कक्ष सं. 112 में जमा करना सुनिश्चित करें।

नोटः–

1. अभ्यर्थी आनलाइन आवेदनपत्र प्रेषित (Submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही आवेदन पत्र (Submit) करें।
2. आय, जाति, सामान्य निवास प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) संबंधित वेबसाइट (http://bor.up.nic.in or http://edistrict.up.nic.in or http://uponline.up.nic.in) पर प्रदर्शित होना अनिवार्य है।
3. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
4. जाति/आय/निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
5. शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद।
6. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति।
7. अपने बैंक की शाखा में KYC (Know your customer) फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें।
8. http://Scholarship.up.nic.in की वेबसाइट पर छात्रों को दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन ध्यानपूर्वक करें।

(डा0 अजिता सिंह)
सहायक कुलसचिव